तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2185/ 2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लू वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री सुनील पारिक, उप राजकीय अभिभाषक।
श्री आत्माराम शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

——

आदेश

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 17—2—05 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बस्सी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर, को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि मुताबिक खतौनी जमाबंदी संवत् 2019 ग्राम ग्वालनी तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा माफी मंदिर श्री रूधनाथ जी पुजारी दुर्गा वल्द काना, गोविन्द्र रामदेव, महोदव वल्द गोरधन जाति ब्राहमण साकिन ग्वालनी की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में लादू पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण साकिन देह के नाम दर्ज थी। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2023 —26 बनाते समय माफी मंदिर श्री रूघनाथ जी का नाम विलोपित कर दिया गया और आराजी की खातेदारी बिनी किसी वैध आदेश के कृषक लादू पुत्र मांगीलाल ब्राहमण के नाम दर्ज कर दी गई। लादू पुत्र मांगीलाल के फौत होने पर विरासत नामांतरकरण संख्या 162 से खातेदारी नानगा, लल्लू, मोहन पिसरान मांगीलाल ब्राहमण के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2052—55 में उक्त आराजी लल्लू, नानगा, मोहन पिसरान मांगीलाल की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2185/ 2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लू वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वापिस माफी मंदिर श्री रूधनाथ जी के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अति0 जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। अति0 जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17–2–05 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करके वादग्रस्त भूमि को श्री नीलकण्ड महादेव के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री रूधनाथ जी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी लम्बे समय से अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। किसी व्यक्ति की खातेदारी को लम्बे समय बाद रेफरेंस के माध्यम से खारिज नहीं किया जा सकता। अतः रेफरेंस खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2185/ 2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लू वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुताबिक खतौनी जमाबंदी संवत् 2019 ग्राम ग्वालनी तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नंबर 155 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा माफी मंदिर श्री रूधनाथ जी पुजारी दुर्गा वल्द काना, गोविन्द्र रामदेव, महोदव वल्द गोरधन जाति ब्राहमण साकिन ग्वालनी की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में लादू पुत्र मांगीलाल कौम ब्राहमण साकिन देह के नाम दर्ज थी। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2023 –26 बनाते समय माफी मंदिर श्री रूघनाथ जी का नाम विलोपित कर दिया गया और आराजी की खातेदारी बिनी किसी वैध आदेश के कृषक लादू पुत्र मांगीलाल ब्राहमण के नाम दर्ज कर दी गई। लादू पुत्र मांगीलाल के फौत होने पर विरासत नामांतरकरण संख्या 162 से खातेदारी नानगा, लल्लू, मोहन पिसरान मांगीलाल ब्राहमण के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2052–55 में उक्त आराजी लल्लू, नानगा, मोहन पिसरान मांगीलाल की खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2185/ 2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लू वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को पुनः ''माफी मंदिर श्री रूधनाथ जी'' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के. जायसवाल)** **सदस्य**	